क्रम संख्या–66 (ख) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 10 जुलाई, 2017 ई0

आषाढ़ 19, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 303/XXXVI(3)/2017/44(1)/2017

देहरादून, 10 जुलाई, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) (निरसन) विधेयक, 2017" पर दिनांक 30 जून, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

'उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) (निरसन) अधिनियम, 2017'

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2017)

'उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 2016 को निरस्त करने के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) (निरसन) अधिनियम, 2017' है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12, वर्ष 2016 का निरसन

2. 'उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0 12, वर्ष 2016) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव।

No. 303/XXXVI(3)/2017/44(1)/2017
Dated Dehradun, July 10, 2017

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) (Repeal) Bill, 2017'** (Adhiniyam Sankhya 11 of 2017).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 June, 2017.

THE UTTARAKHAND GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) (REPEAL) ACT, 2017

(Uttarakhand Act No. 11 of 2017)

AN

ACT

further to repeal **'the Uttarakhand Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2016'** to the context of Uttarakhand state

(be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty Eighth Year of the Republic of India) as follow

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called 'the Uttarakhand Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) (Repeal) Act, 2017'

(2) It shall come into force at once.

Repeal of Uttarakhand Act no. 12 of 2016

2. 'The Uttarakhand Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2016' (Act No. 12 of 2016) is hereby repealed.

By Order,

BHARAT BHUSHAN PANDEY,
Additional Secretary.

410/17

उद्देश्य और कारणों का कथन

प्रदेश के अन्तर्गत जन सामान्य को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संसाधनों एवं स्रोतों के प्रबन्धन तथा भूगर्भ जल, गाड गधेरे, झरने व तालाब आदि को संरक्षित करने एवं प्रदेश के उपभोक्ताओं से भूगर्भ जल उपभोगकर/रायल्टी वसूल किए जाने हेतु अधिसूचना सं0 130/XXXVI(3)/2016/10(1)/2016, दिनांक 07.04.2016 द्वारा **'उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 2016'** अधिसूचित किया गया है।

सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के भीतर जल संसाधन के विनियमन, विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन आदि के लिए सिंचाई विभाग के अन्तर्गत **'उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013'** पूर्व में ही अधिनियमित है, जिसमें भूगर्भ जल के निगमन का प्राविधान भी समाविष्ट है।

अतः समान विषय पर पेयजल विभाग द्वारा प्रख्यापित **'उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 2016'** को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 विधायी/446–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।